

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली  
पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या . 38/2013

वादी:-

- 1- पुष्पादेवी पत्नी श्री अर्जुनलाल जाति सैन  
उम्र 50 वर्ष निवासी 553, बापूनगर  
विस्तार, पाली तहसील व जिला पाली  
(राज0)

बनाम प्रतिवादीगण:-

1. गुणेश पुत्र हमीर जाति राईका निवासी नया गांव  
पाली तहसील व जिला पाली (राजस्थान) के  
वारिसान:-
  - 1/1 घीसीदेवी पत्नी गुणेश
  - 1/2 भागीरथराम पुत्र गुणेश
  - 1/3 संतोष पुत्री गुणेश
  - 1/4 ढलकी पुत्री गुणेश
2. श्री काना पुत्र श्री हमीर जाति राईका निवासी नया  
गांव, पाली तहसील व जिला पाली (राज0)
3. श्री नारायण पुत्र श्री पोकर जाति राईका निवासी  
नया गांव, पाली तहसील व जिला पाली (राज0)
4. जोनाई पुत्र श्री मानाजी के वारिसान
  - 4.1 ओम प्रकाश पुत्र सोनाराम
  - 4.2 छगनलाल पुत्र सोनाराम
  - 4.3 पुष्पा पुत्री सोनाराम
  - 4.4 विद्या पत्नि सोनाराम
  - 4.5 मोहनलाल पुत्र गोपाल जातिगण भाट  
निवासीगण नया गांव, पाली तहसील व  
जिला पाली
  - 4.6 सेरिया पुत्री गोपाल के खरीददार
    - 4.6.1 अल्ताफ खान पुत्र घीसुखान  
जाति घोसी मुलसमान निवासी  
घोसीवाड़ा, पाली (राज0)
    - 4.6.2 अनवर अली वल्द हाजी इन्साफ  
भाटी कौम मुसलमान निवासी  
घोसीवाड़ा, पाली (राज0)
    - 4.6.3 मोहम्मद शरीफ वल्द हाजी  
युसुफ कौम घीपा मुसलमान  
निवासी प्यारा चौक, पाली
5. होसीया उर्फ हजारी पुत्र श्री अमरा जाति भाट के  
वारिसान:-
  - 5.1 लक्ष्मण पुत्र होसीया उर्फ हजारी जाति भाट  
निवासी नया गांव, पाली (राज0)
  - 5.2 ताराराम पुत्र सोनाराम
  - 5.3 श्रवण पुत्र सोनाराम
  - 5.4 अशोक पुत्र सोनाराम
  - 5.5 बहना पुत्री सोनाराम
  - 5.6 वदीया पत्नि सोनाराम, जातिगण जाट  
निवासीगण उतवण, तहसील व जिला पाली  
(राज0)
6. कमला पत्नि श्री सालग जाति भाट निवासी नया  
गांव पाली (राज0) के वारिसान
  - 6.1 मांगीलाल पुत्र सालगजी

सहायक कलेक्टर  
पाली

- 6.2 मोहनलाल पुत्र सालग जी  
 6.3 वैनाराम पुत्र सालगजी (फौत) के वारिसान  
 6.3.1 कालुराम पुत्र वैनाराम  
 6.3.2 पुष्पा पुत्री वैनाराम  
 6.3.3 ककुदेवी पुत्री वैनाराम  
 6.4 छगनाराम पुत्र सालग जी (फौत) के वारिसान  
 6.4.1 नारायण पुत्र छगनाराम  
 6.4.2 देवी पत्नी छगनाराम  
 6.4.3 भुण्डाराम पुत्र छगनाराम  
 7. किशन पुत्र श्री प्रताप जाति भाट निवासी नयागांव, पाली (राज0) के वारिसान  
 7.1 रकमो पत्नी किशन (फौत)  
 7.2 कानाराम पुत्र किशन के वारिसान  
 7.2.1 घीसी पुत्री किशन  
 7.2.2 शांति पुत्री किशन  
 7.2.3 भगीया पुत्री किशन  
 7.2.4 कोकी पुत्री किशन  
 7.3 शंकर पुत्र किशन (फौत) के वारिसान  
 7.3.1 लकीया पत्नी शंकर  
 7.3.2 अशोक पुत्र शंकर  
 7.3.3 ओमा पुत्र शंकर  
 7.3.4 मंजु पुत्री शंकर  
 7.4 शेखर पुत्र शंकर (फौत) के वारिसान  
 7.4.1 मोरिया पत्नी शेखर  
 7.4.2 तेजाराम पुत्र शेखर  
 7.4.3 सतीया पुत्री शेखर  
 7.4.4 काशी पुत्री शेखर  
 7.4.5 मनी पुत्री शेखर  
 8. राजीया पुत्र श्री उमा जाति भाट के विधिक वारिसान:-  
 8.1 लक्ष्मण पुत्र राजीया के हिस्से के खरीददार-  
 8.1.1 अनवर अली पुत्र हाजी इन्साफ भाटी जाति घोसी मुसलमान निवासी 78, घोसीवाड़ा, पाली  
 8.1.2 इम्तियाज खिलजी पुत्र बरकत अली जाति तेली मुसलमान निवासी 88, नाडी मौहल्ला, पाली (राज0)  
 8.1.3 सोहनलाल पुत्र मगनाराम जाति भाट निवासी हाथलाई तहसील पाली जिला पाली (राज0)  
 8.1.4 किशनलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति भाट निवासी हाथलाई तहसील पाली जिला पाली (राज0)  
 8.1.5 लक्ष्मण पुत्र राजीया के वारिसान:-  
 8.1.5.1 दाखु पत्नि लक्ष्मण  
 8.1.5.2 मंगाराम पुत्र लक्ष्मण  
 8.1.5.3 रमेश पुत्र लक्ष्मण  
 8.1.5.4 पुनमचन्द पुत्र लक्ष्मण  
 9. भीमाराम पुत्र श्री नरसिंहजी के हिस्से के खरीददार  
 9.2 बादलसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपुत निवासी 219, सरदार पटेल नगर, पाली (राज0)  
 9.3 शितलदास पुत्र जस्सुमल जाति सिंधी लौहान निवासी 14, वेंकटेश्वर मार्ग, सिंधी

सहायक लेखक  
पाली

कॉलोनी, पाली

- 9.4 मनोहरलाल पुत्र भंवरलाल मेवाड़ा जाति कलाल निवासी 97 हिम्मत नगर, पाली (राज0)
- 9.5 प्रमीलादेवी पत्नि ज्ञानचंद जाति जैन निवासी 47, महावीर नगर, पाली (राज0)
- 9.6 तारा मेहता पत्नि राजेन्द्र मेहता जाति जैन निवासी 9 अम्बे नगर, मंडिया रोड, पाली (राज0)
- 9.7 शांति पत्नि सोनाराम जाति भाट निवासी सोवनीया तहसील पाली जिला पाली (राज0)
- 9.8 रायाराम पुत्र राणाराम जाति भाट निवासी अरटीया तहसील रोहट जिला पाली (राज0)
- 9.9 ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति भाट निवासी अरटीया तहसील रोहट जिला पाली (राज0)
- 9.10 मेवादेवी पत्नि अंबाराम निवासी माणकलाव तहसील जोधपुर जिला जोधपुर
- 9.11 सायरी पत्नि रामसिंह जाति भाट निवासी खामल तहसील सोजत जिला पाली (राज0)
- 9.12 भीमाराम पुत्र नरसिंग जाति भाट निवासी नया गांव पाली तहसील व जिला पाली के वारिसान
- 9.11.1 गेहरी पत्नी भीमाराम
- 9.11.2 भाणाराम पुत्र भीमाराम
- 9.11.3 राऊराम पुत्र भीमाराम (फौत) के वारिसान
- 9.11.3.1 शेरीया पत्नी राऊराम
- 9.11.3.2 नारायण पुत्र राऊराम
- 9.11.3.3 श्रवण पुत्र राऊराम
- 9.11.3.4 गोविन्द पुत्र राऊराम
- 9.11.3.5 दिनेश पुत्र राऊराम
- 9.11.3.6 सुरेश पुत्र राऊराम
- 9.11.3.7 सकिया पुत्री राऊराम
- 9.11.3.8 सगड़ा पुत्री राऊराम
10. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली (राज0)

उपस्थिति:-

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)

**वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955**

-:निर्णय:-

दिनांक - 23-12-2019

1. वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा

सहायक कलेक्टर  
पाली

काश्त की जमीन पाली चक नम्बर 2 खरारा नम्बर 460 रकबा 84 बीघा 14 बिस्वा किरम वारानी अब्बल लगान 42.35 रूपये की आई है। जिसमें वादी 1/9 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है व शेष आराजी प्रतिवादीगण की है। वर्तमान जमाबंदी व पूर्ववर्ती जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। उपरोक्त भूमि को वादपत्र में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित की जायेगी। वादी व प्रतिवादी अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर पूर्ववर्ती खातेदारों के आपसी बंटवाड़ा अनुसार मौके पर अलग अलग अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त हैं। वादी के अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर तारबंदी की हुई है तथा मौके पर धोरापाली की हुई है। इसी अनुरूप अन्य प्रतिवादीगण भी अपने हिस्से की भूमि पर पूर्ववर्ती खातेदारों से खरीद की थी। इस भूमि का पूर्व में ही खातेदारों के बीच आपसी सहमति से मौके पर अलग अलग बंटवाड़ा हो रखा था। इसी माफिक विक्रेतागण ने खरीददार प्रतिवादीगण को उनके हिस्से की भूमि का कब्जा मौके पर सौंप दिया। वादग्रस्त भूमि के मौके पर आपसी बंटवाड़ा के कब्जे अनुसार प्रतिवादीगण काबिज काश्त हैं। वादी के हिस्से की भूमि का नजरी नक्शा बनाकर इस वादपत्र के साथ पेश किया जा रहा है। इसमें वादी की 1/9 हिस्से की भूमि मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शायी गई है एवं शेष भूमि प्रतिवादीगण की है। इस नजरी नक्शों के माफिक ही मौके पर पक्षकारों का कब्जा व हक एवं अधिकार हैं।

वादग्रस्त भूमि में खातेदार हमीरा पुत्र भूरा 1/9, पोकर पुत्र बालु 1/9, नरसिंग पुत्र भीका 1/9, जोनाई पुत्र भानीया 1/9, होसीया उर्फ हजारी पुत्र अमरा, कमला पत्नि सालग 1/9, किसन पुत्र प्रताप 1/9, राजीया पुत्र उमा 1/9 व जावता पुत्र हुकमा 1/9 हिस्से के खातेदार थे। उक्त खातेदारों ने अपनी आपसी सहमति से अपने हिस्से अनुसार आपसी बंटवाड़ा कर कब्जा काश्त रहा। उक्त खातेदारों ने अपने हिस्से की भूमि का उत्तरोत्तर खरीददारों को बेचान हस्तान्तरण किया। जिसके अनुरूप उत्तरोत्तर खरीददार प्रतिवादीगण व खातेदार वादग्रस्त भूमि कमे मौके के आपसी बंटवाड़ा अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो पूर्व खातेदार हमीरा पुत्र भूरा के उत्तराधिकारी जो वादग्रस्त भूमि में अपने 1/9 हिस्से के माताविक आपसी बंटवाड़ा अनुसार मौके पर काबिज है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 जो पूर्व खातेदार पोकर पुत्र बालू के विधिक उत्तराधिकारी है जो वादग्रस्त भूमि में अपने 1/9 हिस्से के माफिक आपसी बंटवाड़ा अनुसार मौके पर काबिज है। इसी प्रकार उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 4.1 से 4.6 है। उक्त प्रतिवादी संख्या 4.6 ने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 4.6.1 से 4.6.3 को बेचान हस्तान्तरण कर दी। उक्त प्रतिवादीगण जो वादग्रस्त भूमि में अपने 1/9 हिस्से के माफिक आपसी बंटवाड़ा अनुसार मौके पर काबिज है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 जो पूर्व खातेदार होसीया उर्फ हजारी पुत्र अमरा के विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 5.1 से 5.6 है जो वादग्रस्त भूमि में अपने 1/9 हिस्से के माफिक आपसी बंटवाड़ा अनुसार मौके पर काबिज है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 6 जो पूर्व खातेदार कमला पत्नि सालग व प्रतिवादी संख्या 7 किशन पुत्र प्रताप जो प्रत्येक वादग्रस्त भूमि में अपने 1/9 हिस्से के माफिक आपसी बंटवाड़ा अनुसार मौके पर काबिज काश्त हैं। प्रतिवादी संख्या 8 जो पूर्व खातेदार राजीया पुत्र उमा के विधिक उत्तराधिकारी है एवं प्रतिवादी संख्या 8.1.1 से 8.1.4 जो उत्तरोत्तर खरीददार हैं। उक्त प्रतिवादी संख्या 8.1.1 से 8.3 जो वादग्रस्त भूमि में अपने 1/9 हिस्से के माफिक आपसी बंटवाड़ा अनुसार मौके पर काबिज काश्त हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 9 जो पूर्व खातेदार भीमाराम पुत्र नरसिंग के 1/9 हिस्से के उत्तरोत्तर खरीददार हैं। जिसमें प्रतिवादी संख्या 9.1 से 9.3 ने वादग्रस्त भूमि के 1/9 हिस्से में 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि के खरीददार है। प्रतिवादी संख्या 9.4 से 9.5 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि के खरीददार है तथा प्रतिवादी संख्या 9.6 1 बीघा भूमि व प्रतिवादी संख्या 9.9 से 9.10 1 बीघा 10 बिस्वा वादग्रस्त भूमि के खरीददार है तथा शेष 1 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार भीमाराम वल्द नरसिंग हैं। जो माफिक आपसी बंटवाड़ा अनुसार मौके पर काबिज है।

वादी व प्रतिवादीगण अपने माफिक हिस्से अनुसार तथा आपसी बंटवाड़ा अनुसार मौके पर अलग अलग अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा पूर्ववर्ती खातेदारों ने अपने हिस्से की भूमि का आगे से आगे बेचान हस्तान्तरण किया। जिस पर माफिक खरीददार उनके हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा वादी अपने वादग्रस्त भूमि में अपने 1/9 हिस्से की भूमि पर संलग्न वाद के नक्शों में वर्णित मार्ग ए.बी.सी.डी. भूमि पर काबिज काश्त है। वादी क अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर तारबंदी व धोरापाली की हुई है। उक्त भूमि का राजस्व नक्शों में माफिक आपसी बंटवाड़ा अनुसार तरमीम की हुई नहीं है तथा राजस्व रेकॉर्ड में भी अलग अलग इन्द्राज नहीं है वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में अपने अपने आपसी बंटवाड़ा के हिस्से को बंटवाड़ा कराने हेतु तथा राजस्व लगान अलग कराने तथा राजस्व नक्शों में अपने हिस्से की भूमि को तरमीम कराने हेतु कई बार निवदेन किया। लेकिन दिनांक 1.3.2013 को प्रतिवादी संख्या 9 के खरीददार व प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर  
वासी

संख्या 5 के उत्तराधिकारी तथा प्रतिवादी संख्या 4 के खरीददार ने संयुक्त व शामलाती भूमि का बंटवाड़ा करवाने से इन्कार कर दिया तथा बंटवाड़ा कराने की आपसी कार्यवाही में सहाय्य करने से भी इन्कार कर दिया तथा आपसी बंटवाड़ा की कार्यवाही में तहसीलदार पाली के यहा उपस्थित होने से भी इन्कार कर दिया। वादी अपने हक हिस्से की भूमि पर कृषि ऋण लेकर उन्नत कृषि कार्य करना चाह रही है। इसके लिए विवादित भूमि का बंटवाड़ा करने हेतु कई बार निवेदन किया। लेकिन प्रतिवादीगण दिनांक 1.3.2013 को वादग्रस्त भूमि का संयुक्त व शामलाती भूमि का बंटवाड़ा करने हेतु कई बार निवेदन किया। लेकिन प्रतिवादीगण दिनांक 1.3.2013 को वादग्रस्त भूमि का संयुक्त व शामलाती भूमि का बंटवाड़ा करवाने से इन्कार कर दिया है। वादी माफिक अपने हक व हिस्से अनुसार अपनी भूमि का बंटवाड़ा करवाने का विधिक अधिकारी हैं लेकिन प्रतिवादीगण ऐसा बंटवाड़ा करवाने का विधिक अधिकारी है। लेकिन प्रतिवादीगण ऐसा बंटवाड़ा करवाने से इन्कार हो गये है। जिस पर यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। जिसमें वादी के 1/9 हिस्से की भूमि का बाई मिट्स बाउण्ड्स बंटवाड़ा किये जाने हेतु यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जा रहा है। वादी महिल है जो अपने हक हिस्से की भूमि का विधिक तौर से बंटवाड़ा कराकर तथा राजस्व रेकॉर्ड व राजस्व नक्शे में अपने हिस्से की वादग्रस्त भूमि में 1/9 हिस्से की भूमि को माफिक बंटवाड़ा अनुसार अलग इन्द्राज कराकर उन्नत कृषि कार्य ऋण लेकर करना चाह रही है तथा अपने हिस्से की भूमि पर होल्डिंग इम्पुमेन्ट करना चाह रही है जो बिना बंटवाड़ा किया जाना संभव नहीं है। इस कारण वादी अपने हिस्से की भूमि को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा हेतु यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जा रहा है।

बंटवाड़ की डिक्री व निर्णय बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी फरमावे कि- राजस्व मौजा पाली चक नम्बर द्वितीय में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 460 रकबा 84 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अब्बल लगान 42.35 में से वादी के 1/9 हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा किया जावे व राजस्व रेकॉर्ड के खाता अलग से दर्ज किया जावे। नक्शा ट्रेष व वादी की भूमि अलग से तरमीम की जावे इस आशय की बंटवाड़ा की डिक्री व निर्णय बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमावे।


2. वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

3. दिनांक 15.04.15 को प्रतिवादी संख्या 1,6,7 व 9,11 के कायम मुकाम बावजुद अखबार में प्रकाशत सम्मन तामील होने के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।

4. दिनांक 28.03.16 को प्रतिवादी संख्या 4.6.1 की ओर से श्री मो. शरीफ काजी एडवोकेट ने दिनांक 12.06.13 को एवं प्रति संख्या 8.1.3 की ओर से दिनांक 11.12.14 को श्री सलीम खां एडवोकेट ने यु.टी.(अण्डर टेकिंग) ली थी परतु उनके द्वारा ने तो जवाबदावा पेश किया तथा न ही वकालतनामा ही प्रस्तुत किये गये। इसलिये प्रतिवादी संख्या 4.6.1 व 8.1.3 का जवाबदावा पेश करने का अवसर समाप्त करते हुए उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।

5. राजस्व लोक अदालत 2016 कैप पाली मे पेश मे उभयपक्ष वादग्रस्त भूमि पर उनके हिस्से के अनुसार मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाने हेतु सहमत है। दिनांक 05.06.2016 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि सरहद मौजा पाली चक II में स्थित खसरा नंबर 460 रकबा 84 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अब्बल लगान 42.35 रूपये का खातेदारों के बीच राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज अनुरूप बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा नियमान्तर्गत मौके पर करके बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, पाली को आदेश दिया गया।

6. तहसीलदार पाली ने अपने पत्रांक/राजस्व/2016/2649 दिनांक 22.09.16 द्वारा निवेदन किया कि वाद निर्णय की पालना हेतु पटवारी हल्का पाली चक द्वितीय को लिखा गया है। पटवारी हल्का द्वारा अवगत कराया है कि निर्णय में आर्डर सीट में खसरा नम्बर 460 रकबा 84.14 बिघा भूमि दर्शाया गया है एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम पाली चक द्वितीय के खसरा नम्बर 460 रकबा 84.14 बिघा किस्म गैर मुमकीन आबादी नगर परिषद पाली के नाम दर्ज है।

  
सत्यम कलेक्टर  
पाली

7. अंतिम बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

8. विद्वान अभिभाषक वादी ने निवेदन किया कि वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काशत की जमीन पाली चक नम्बर 2 खसरा नम्बर 460 रकबा 84 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अब्बल लगान 42.35 रूपयें की आई है। जिसमें वादी 1/9 हिस्से के काबिज खातेदार काशतकार है व शेष आराजी प्रतिवादीगण की है। वर्तमान जमाबंदी व पूर्ववर्ती जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। उपरोक्त भूमि को वादपत्र में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित की जायेगी। वादी व प्रतिवदी अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर पूर्ववर्ती खातेदारों के आपसी बंटवाड़ा अनुसार मौके पर अलग अलग अपने हिस्से अनुसार काबिज काशत हैं। वादी के अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर तारबंदी की हुई है तथा मौके पर धोरापाली की हुई हैं। इसी अनुरूप अन्य प्रतिवादीगण भी अपने हिस्से की भूमि पर पूर्ववर्ती खातेदारों से खरीद की थी। इस भूमि का पूर्व में ही खातेदारों के बीच आपसी सहमति से मौके पर अलग अलग बंटवाड़ा हो रखा था। इसी माफिक विक्रेतागण ने खरीददार प्रतिवादीगण को उनके हिस्से की भूमि का कब्जा मौके पर सौंप दिया। वादग्रस्त भूमि के मौके पर आपसी बंटवाड़ा के कब्जे अनुसार प्रतिवादीगण काबिज काशत हैं। वादी के हिस्से की भूमि का नजरी नक्शा बनाकर इस वादपत्र के साथ पेश किया जा रहा है। इसमें वादी की 1/9 हिस्से की भूमि मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शायी गई है एवं शेष भूमि प्रतिवादीगण की है। राजस्व मौजा पाली चक नम्बर द्वितीय में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 460 रकबा 84 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अब्बल लगान 42.35 में से वादी के 1/9 हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड के खाता अलग से दर्ज किया जावे। नक्शा ट्रेस व वादी की भूमि अलग से तरमीम की जावे इस आशय की बंटवाड़ा की डिक्री व निर्णय बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमावें।

9. सरकारी पैरोकार ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में गैर मुमकीन आबादी नगर परिषद् पाली के नाम दर्ज है। वादी द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। तथा यह वाद द्वारा सन् 2013 में प्रस्तुत किया गया है। उक्त विवादित भूमि का सन् 2013 में 90 बी के होने के बाद में इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः ग्राम पाली चक द्वितीय के खसरा नम्बर 460 रकबा 84.14 बिघा किस्म गैर मुमकीन आबादी नगर परिषद् पाली के नाम दर्ज है। वादी का वाद के आधार पर डिक्री नहीं किया जा सकता। इसलिए वाद को खारिज किया जावे।


10. बहस उभयपक्ष की सुनी गई एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पाली चक द्वितीय के खसरा नम्बर 460 रकबा 84.14 बिघा किस्म गैर मुमकीन आबादी नगर परिषद् पाली के नाम दर्ज है तथा उक्त भूमि का 90 (बी) के होने के बाद इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार में नहीं है। परिणामस्वरूप वादी का वाद खारिज किया जाता है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। डिक्री परचा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

  
सहायक कलेक्टर  
पाली

यह आदेश आज दिनांक 23.12.2019  
हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद

  
सहायक कलेक्टर  
पाली

## डिकी बमुकददमें इब्तादाई

( ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी )  
( Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली

इजलास- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 38 सन् 2013

वादी:-

1- पुष्पादेवी पत्नी श्री अर्जुनलाल जाति सैन उम्र 50 वर्ष निवासी 553, बापूनगर विस्तार, पाली तहसील व जिला पाली (राज0)

बनाम प्रतिवादीगण:-

1. गुणेश पुत्र हमीर जाति राईका निवासी नया गांव पाली तहसील व जिला पाली (राजस्थान) के वारिसान:-

1/1 घीसीदेवी पत्नी गुणेश

1/2 भागीरथराम पुत्र गुणेश

1/3 संतोष पुत्री गुणेश

1/4 ढलकी पुत्री गुणेश

2. श्री काना पुत्र श्री हमीर जाति राईका निवासी नया गांव, पाली तहसील व जिला पाली (राज0)  
3. श्री नारायण पुत्र श्री पोकर जाति राईका निवासी नया गांव, पाली तहसील व जिला पाली (राज0)  
4. जोनाई पुत्र श्री मानाजी के वारिसान

4.1 ओम प्रकाश पुत्र सोनाराम

4.2 छगनलाल पुत्र सोनाराम

4.3 पुष्पा पुत्री सोनाराम

4.4 विद्या पत्नि सोनाराम

4.5 मोहनलाल पुत्र गोपाल जातिगण भाट निवासीगण नया गांव, पाली तहसील व जिला पाली

4.6 सेरिया पुत्री गोपाल के खरीददार

4.6.1 अल्ताफ खान पुत्र घीसुखान जाति घोसी मुलसमान निवासी घोसीवाड़ा, पाली (राज0)

4.6.2 अनवर अली वल्द हाजी इन्साफ भाटी कौम मुसलमान निवासी घोसीवाड़ा, पाली (राज0)

4.6.3 मोहम्मद शरीफ वल्द हाजी युसुफ कौम छीपा मुसलमान निवासी प्यारा चौक, पाली

5. होसीया उर्फ हजारी पुत्र श्री अमरा जाति भाट के वारिसान:-

5.1 लक्ष्मण पुत्र होसीया उर्फ हजारी जाति भाट निवासी नया गांव, पाली (राज0)

5.2 ताराराम पुत्र सोनाराम


5.3 श्रवण पुत्र सोनाराम

सहायक कलेक्टर  
पाली

- 5.4 अशोक पुत्र सोनाराम  
 5.5 बहना पुत्री सोनाराम  
 5.6 वदीया पत्नि सोनाराम, जातिगण जाट निवासीगण उतवण, तहसील व जिला पाली (राज0)
6. कमला पत्नि श्री सालग जाति भाट निवासी नया गांव पाली (राज0) के वारिसान  
 6.1 मांगीलाल पुत्र सालगजी  
 6.2 मोहनलाल पुत्र सालग जी  
 6.3 वैनाराम पुत्र सालगजी (फौत) के वारिसान  
 6.3.1 कालुराम पुत्र वैनाराम  
 6.3.2 पुष्पा पुत्री वैनाराम  
 6.3.3 ककुदेवी पुत्री वैनाराम  
 6.4 छगनाराम पुत्र सालग जी (फौत) के वारिसान  
 6.4.1 नारायण पुत्र छगनाराम  
 6.4.2 देवी पत्नी छगनाराम  
 6.4.3 भुण्डाराम पुत्र छगनाराम
7. किशन पुत्र श्री प्रताप जाति भाट निवासी नयागांव, पाली (राज0) के वारिसान  
 7.1 रकमो पत्नी किशन (फौत)  
 7.2 कानाराम पुत्र किशन के वारिसान  
 7.2.1 घीसी पुत्री किशन  
 7.2.2 शांति पुत्री किशन  
 7.2.3 भगीया पुत्री किशन  
 7.2.4 कोकी पुत्री किशन  
 7.3 शंकर पुत्र किशन (फौत) के वारिसान  
 7.3.1 लकीया पत्नी शंकर  
 7.3.2 अशोक पुत्र शंकर  
 7.3.3 ओमा पुत्र शंकर  
 7.3.4 मंजु पुत्री शंकर  
 7.4 शेखर पुत्र शंकर (फौत) के वारिसान  
 7.4.1 मोरिया पत्नी शेखर  
 7.4.2 तेजाराम पुत्र शेखर  
 7.4.3 सतीया पुत्री शेखर  
 7.4.4 काशी पुत्री शेखर  
 7.4.5 मनी पुत्री शेखर
8. राजीया पुत्र श्री उमा जाति भाट के विधिक वारिसान:-  
 8.1 लक्ष्मण पुत्र राजीया के हिस्से के खरीददार-  
 8.1.1 अनवर अली पुत्र हाजी इन्साफ भाटी जाति घोसी मुसलमान निवासी 78, घोसीवाड़ा, पाली  
 8.1.2 इम्तियाज खिलजी पुत्र बरकत अली जाति तेली मुसलमान निवासी 88, नाडी मौहल्ला, पाली (राज0)  
 8.1.3 सोहनलाल पुत्र मगनाराम जाति भाट निवासी हाथलाई तहसील पाली जिला पाली (राज0)  
 8.1.4 किशनलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति भाट निवासी हाथलाई तहसील पाली जिला पाली (राज0)  
 8.1.5 लक्ष्मण पुत्र राजीया के वारिसान:-  
 8.1.5.1 दाखु पत्नि लक्ष्मण  
 8.1.5.2 मंगाराम पुत्र लक्ष्मण  
 8.1.5.3 रमेश पुत्र लक्ष्मण

- 8.1.5.4 पुनमचन्द पुत्र लक्ष्मण
9. भीमाराम पुत्र श्री नरसिंहजी के हिस्से के खरीददार
- 9.2 बादलसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपुत निवासी 219, सरदार पटेल नगर, पाली (राज0)
- 9.3 शितलदास पुत्र जस्सुमल जाति सिंधी लौहान निवासी 14, वैकटेश्वर मार्ग, सिंधी कॉलोनी, पाली
- 9.4 मनोहरलाल पुत्र भंवरलाल मेवाड़ा जाति कलाल निवासी 97 हिम्मत नगर, पाली (राज0)
- 9.5 प्रमीलादेवी पत्नि ज्ञानचंद जाति जैन निवासी 47, महावीर नगर, पाली (राज0)
- 9.6 तारा मेहता पत्नि राजेन्द्र मेहता जाति जैन निवासी 9 अम्बे नगर, मंडिया रोड, पाली (राज0)
- 9.7 शांति पत्नि सोनाराम जाति भाट निवासी सोवनीया तहसील पाली जिला पाली (राज0)
- 9.8 रायाराम पुत्र राणाराम जाति भाट निवासी अरटीया तहसील रोहट जिला पाली (राज0)
- 9.9 ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति भाट निवासी अरटीया तहसील रोहट जिला पाली (राज0)
- 9.10 मेवादेवी पत्नि अंबाराम निवासी माणकलाव तहसील जोधपुर जिला जोधपुर
- 9.11 सायरी पत्नि रामसिंह जाति भाट निवासी खामल तहसील सोजत जिला पाली (राज0)
- 9.12 भीमाराम पुत्र नरसिंह जाति भाट निवासी नया गांव पाली तहसील व जिला पाली के वारिसान
- 9.11.1 गेहरी पत्नी भीमाराम
- 9.11.2 भाणाराम पुत्र भीमाराम
- 9.11.3 राऊराम पुत्र भीमाराम (फौत) के वारिसान
- 9.11.3.1 शेरीया पत्नी राऊराम
- 9.11.3.2 नारायण पुत्र राऊराम
- 9.11.3.3 श्रवण पुत्र राऊराम
- 9.11.3.4 गोविन्द पुत्र राऊराम
- 9.11.3.5 दिनेश पुत्र राऊराम
- 9.11.3.6 सुरेश पुत्र राऊराम
- 9.11.3.7 सकिया पुत्री राऊराम
- 9.11.3.8 सगड़ा पुत्री राऊराम
10. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली (राज0)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार कर डिकी किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है।

  
सहायक कलेक्टर  
पाली

नीज.....शून्य..... मुवलिग .....शून्य..... बाबत.....शून्य..... खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.....शून्य..... फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक .....शून्य..... को अदा करें। बसिबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 12 सन् 2019 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलेक्टर  
पाली

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	-	-	स्टाम्प वकालतनामा	-	-
स्टाम्प वकालतनामा	-	-	स्टाम्प हाजरी	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	मेहनताना वकील पर	-	-
मेहनताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान	-	-
खर्चा गवाहान	-	-	फीस कमिश्नर	-	-
फीस कमिश्नर	-	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-	मुतफरिक	-	-
मुतफरिक	-	-	-	-	-
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर  
पाली